



प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22/02/2024

विषय:-डिफेन्स कारिडोर परियोजनान्तर्गत अलीगढ़ नोड के ग्राम जसरथपुर 40.15 हे० व जलूपुर सिहोर की 47.738 हे० कुल 87.888 हे० भूमि क्रय/अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 6526/यूपीडा/डिफेन्स/1020/2018-टीसी दिनांक 19.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में ग्राम जसरथपुर की 40.15 हे० एवं जलूपुर सिहोर की 47.738 हे० कुल 87.888 हे० भूमि के अर्जन कार्य की आकलित लागत रु० 22203.51 लाख+विक्रय पत्र निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क के रूप में व्यय होने वाली एवं भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्य की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागत के सापेक्ष रु० 12180.00 लाख (रुपये एक अरब इक्कीस करोड अस्सी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(रुपये धनराशि लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना स्थापित किये जाने हेतु अलीगढ़ नोड में ग्राम जसरथपुर की 40.15 हे० व जलूपुर सिहोर की 47.738 हे० कुल 87.888 हे० भूमि के अर्जन का कार्य।	22203.51 + (विक्रय पत्र निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क के रूप में व्यय होने वाली एवं भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्य की धनराशि)	12180.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के संगत डिपॉजिट खाते में जमा करायी जायेगी।
- भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का जिलाधिकारी, अलीगढ़ के डिपॉजिट खाते से आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) भूमि क्रय हेतु उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय जाप संख्या सं 0- 2/2023/ बी- 1- 227/ दस- 2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।
- (10) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (12) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
- (13) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय यूपीडा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,21,80,00,000 (रुपये एक अरब इक्कीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-231-X-2023-24-दिनांक: 09-02-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) अलीगढ़।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ/अलीगढ़।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार),
अनु सचिव